



Hindi
हिन्दी

अनमोल पैग़ाम हाजीयों के नाम

प्रस्तुतकरण: अलमुहत्सिब सेंटर फॉर कॉनसुलेशन
अनुवाद व सम्पादना : ज़ाकिर हुसैन वरासतुल्लाह

رسالة إلى حاج

إعداد

مركز المحاسب للاستشارات



Hindi

الهندية

हिंदी



Osoul Center
www.osoulcenter.com

This book has been conceived, prepared and designed by the Osoul International Centre. All photos used in the book belong to the Osoul Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osoul Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osoul Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.

 +966 11 445 4900

 +966 11 497 0126

 P.O.BOX 29465 Riyadh 11457

 osoul@rabwah.sa

 www.osoulcenter.com



शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान (कृपालु) निहायत रहम
करने वाला (दयालु) है





الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على رسوله محمد، وآلـه، وصحبهـ.
اما بعد :

सारी तारीफें एक अल्लाह के लिए हैं। दुर्खद व सलाम (रहमत व शांति) नाज़िल हो उसके बंदे और रसूल मुहम्मद तथा उनके आल व ऐलाद और उनके अस्हाब पर।

प्यारे हाजी भाई!

अस्सलामु अलौकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु (यानी आप सब पर सलामती नाज़िल हो, और अल्लाह की रहमतें तथा उसकी बरकतें अवतारित हो)। अम्मा बा‘द (तत्पश्चात्):

आखिरकार हरमैन शरीफैन की सरज़मीन (अंततः मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी की धरती) में क़दम रखकर आप धन्य हुये। यह है वह ख़ाब जो बड़े दिनों से आपके दिल व दिमाग़ तथा मन व मस्तिष्क में दस्तक दे रहा था, आज आप ने उसे तसव्वुर का पर्दा चाक (कल्पना का आवरण भेद) करके हकीकी रूप में अपनी निगाह से दर्शन कर लिया। अतः आपके लिए है खुशखबरी तथा सुसंवाद। और हम आप से कहते हैं: अहलन व सहलन यानी खुश आमदीद व स्वागतम।

मेरे प्यारे भाई! मुझे पूरा यक़ीन है कि आपका दिल अल्लाह और उसके रसूल ﷺ की मुहब्बत से पुर (भरा हुआ) है। इसी लिए मैं आप से पूछता हूँ कि: क्या आप रसूलुल्लाह ﷺ को देखना तथा हज्ज



के इस सफर में आप ﷺ की सुहबत (संगति) में रहना पसंद नहीं करेंगे? मुझे सौ फ़ीसद वुसूक व यकीन (पूर्ण आस्था व विश्वास) है कि आप कहेंगे: क्यों नहीं! बल्कि आप को देखने तथा आपकी सुहबत में रहने के लिए मैं हर वह चीज़ जिसका मैं मालिक हूँ उत्सर्ग तथा कुरबान करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐ मेरे प्यारे सुनें: यह मुसल्लमा हकीकत (निर्विवाद वास्तविकता) है कि आज आप ﷺ की सुहबत में रहना नामुमकिन (असंभव) है। लेकिन यह बात मुमकिन ज़रूर है कि आप इस मुबारक सफर में अपनी रुह व जान और तसव्वुर व कल्पना के साथ आपकी सुहबत में रहें। और वह इस तरह से कि आप पता लगा कर उन जगहों तक पहुँचें जहाँ रसूलुल्लाह ﷺ गए हैं, और उन जगहों की ज़ियारत के लिए न जायें जिनकी ज़ियारत आप ﷺ ने नहीं की है। तो गोया यह है आप ﷺ की सुहबत।

और मैं अब उन अमाकिन की निशानदिही (उन स्थानों को चिन्हित) करूँगा जहाँ हो सकता है आप जायें, पर आपके नबी ﷺ न गये हूँ। अतः अगर आप अपने नबी ﷺ से दूर रहना चाहते हैं तो वहाँ जायें। और अगर आप अपने नबी ﷺ से दूर रहना पसंद नहीं फ़रमाते हैं तो आप भी वहाँ रहें जहाँ आप ﷺ थे, और ऐसी जगहों की ज़ियारत के लिए न जायें जिनकी ज़ियारत न हज्ज में और न उम्रा में नबी ﷺ ने खुद (स्वयं) की है और न ही लोगों को उन की ज़ियारत का हुक्म दिया है।

﴿ वह जगहें जिनकी इबादत के तौर पर ज़ियारत करना असूलन मशरूअ (मूलतः शरीअत सम्मत) ही नहीं है।

अतः उनकी इबादत के तौर पर ज़ियारत करना हर सूरत तथा हर



हाल में नबी ﷺ के आदर्श की स्पष्ट विरोधिता (तरीका की खुली मुखालफ़त) है। उन जगहों में से बाज़ यह हैं:

मक्का मुकर्रमा की लाईब्रेरी:

यह लाईब्रेरी मस्जिदे हराम के मशरिकी जानिब वाकेअू (पूर्वी दिशा में अवस्थित) है। बाज़ लोग यह गुमान करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ की वलादत वासआदत (शुभ पैदाइश) उस जगह हुई थी जहाँ लाईब्रेरी बनाई गई है। हकीकते अम्र (विषय की वास्तविकता) जो भी हो आप इतना जान लें कि आपके नबी ﷺ ने इस जगह की ज़ियारत नहीं फ़रमाई है न हज्ज में और न ही उम्रा में। अतः तकरुबे इलाही की ग़रज़ (अल्लाह तआला की निकटता की प्राप्ति के उद्देश) से उसकी ज़ियारत करना आप ﷺ के आदर्श विरोधी तथा आप ﷺ की सुन्नत के खिलाफ़ है, जो क़ाबिले कबूल (ग्रहण योग्य) नहीं है। क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». [صحيح مسلم: ३/१३४३]

“जिस ने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है तो वह मरदूद (ना क़ाबिले कबूल) है।” {सहीह मुस्लिम: 3/1343}

और अगर इस स्थान की ज़ियारत करना सुन्नत होती अथवा इसकी ज़ियारत में ख़ैर तथा कल्याण होता, तो नबी करीम ﷺ खुद और आपके बाद आपके सहाबा किराम उसकी ज़ियारत फ़रमाते।

रही बात कि आप लाईब्रेरी की ज़ियारत किताबों की जानकारी लेने तथा उनके अध्ययन और पढ़ने के लिए करें तो कोई हरज और मुज़ायक़ा नहीं है।





अतः अगर आप किसी ज्ञानहीन व्यक्ति (अनजान आदमी) को उसका तवाफ़ करते या कअबा को अपने पीछे रखकर इस लाइब्रेरी की ओर रुख़ करके नमाज़ पढ़ते अथवा लाइब्रेरी की इमारत छू कर उस से बरकत लेते देखें, तो उसे कोमलता व नरमी के साथ इस कुर्म और बद अ़कीदगी से रोकते हुये उसके सामने हक़ और बातिल की वज़ाहत (सत्यासत्य को स्पष्ट) करें।

❷ ग़ारे हिरा (हिरा नामक गुफा):

यह वह ग़ार है जिस में नबी ﷺ नुबुव्वत से पहले अल्लाह तआला की इबादत किया करते थे। अगर इस ग़ार की कोई खुसूसीयत (विशेषता) होती या उसकी ज़ियारत करना सुन्नत होती, तो नबी ﷺ नुबुव्वत के बाद ज़रूर उसकी ज़ियारत फ़रमाते, हालाँकि आप ﷺ नुबुव्वत के बाद और हिजरत से पहले दस साल तक मक्का में कियाम पज़ीर रहे (अवस्थान किये), इस दौरान अथवा हज्ज या उम्रा में कभी भी आप ﷺ से इसकी ज़ियारत करने का सुबूत नहीं मिलता है। तथा इसका भी सुबूत नहीं है कि आप ﷺ के सहाबा किराम में से किसी ने इसकी ज़ियारत की है। अतः इबादत के तौर पर ग़ारे हिरा की ज़ियारत करना नबी ﷺ के आदर्श की स्पष्ट विरोधिता (आप ﷺ के तरीका की खुली मुखालफ़त) है, और यह इबादत मरदूद है जो उसके करने वाले से कबूल नहीं की जायेगी।

मज़ीद बरूआँ (इसके अलावा) वहाँ कुछ आमाल -जैसे स्पर्श करना (छूना), मन घड़ंत दुआयें करना अथवा बरकत लेना- करते देखें जाते हैं जो निःसंदेह बदतर (निकृष्ट) और खुली मुखालफ़त हैं।





❖ ग़ारे सौर (सौर नामक गुफा):

यह वह ग़ार है जिस में रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने साथी अबू बक्र सिद्दीक ؓ समेत हिजरत के सफर में पनाह लिया था, ताकि कुरैश के लोग आप दोनों को न पा सकें। इस ग़ार की कोई दीनी क़द्र व कीमत नहीं है। तथा यह साबित (प्रमाणित) भी नहीं है कि रसूल ﷺ ने इसकी ज़ियारत की तरगीब दिलाई है, या आप ﷺ ने या आपके सहाबीयों में से किसी ने हिजरत के बाद उसकी ज़ियारत की है। अतः पता नहीं लोग कहाँ से इन बेबुनियाद और मनघड़त ज़ियारतों को ले आते हैं?

❖ उहुद पहाड़ में मौजूद ग़ार और गुफे:

हज्ज व उम्रा के लिए आगत (आये हुये) बाज़ लोग अब्र व सवाब का दावा करते हुये इबादत के तौर पर उहुद पहाड़ के ग़ारों और गुफों की ज़ियारत करते हैं, हालाँकि इसकी कोई अस्ल व बुनियाद (भित्ति) नहीं है।

❖ अरफ़ात में रहमत नामक पहाड़ के ऊपर बना हुआ खंबाः

बहुत सारे मुसलमान यह गुमान करते हैं कि रहमत नामक पहाड़ पर ठहरे बिना अरफ़ा के मैदान में वकूफ़ (अवस्थान) मुकम्मल नहीं होगा। इसी लिए बाज़ लोग पहाड़ के ऊपरी हिस्सा में मौजूद पीलर तक पहुँचना अपने ऊपर लाजिम क़रार देते हैं, हालाँकि यह बेबुनियाद और ग़्लत बात है। बल्कि बल्कि उरना (उरना नामक वादी) के अलावा पूरा मैदाने अरफ़ा मौक़िफ़ (अवस्थान स्थल/ठहरने की जगह) है।





(अल्हम्दु लिल्लाह) मख़्सूस इंतिज़ामिया (विशिष्ट प्रबंधकों) ने मैदाने अरफ़ा के चारों तरफ़ हड बंदी का बोर्ड लगा कर उसके हुदूद को वाज़िह (चौहदी को स्पष्ट) कर दिया है। अतः हाजी साहब के लिए जायज़ (उचित) नहीं है कि वह पहाड़ पर या पीलर के पास ठहरने की कोशिश करे और न ही इस के द्वारा अल्लाह का तकरुब हासिल करे। और यह मामला उस वक्त और शदीद तथा गंभीर हो जाता है जब इसके साथ परस्पर धक्कम पेल, एक दूसरे से कीना कपट, बाहम अदावत व दुश्मनी और आपसी इख्तिलाफ़ात का इज़ाफ़ा हो जाये।

वह जगहें जिनकी इबादत के तौर पर ज़ियारत करना उम्रुमन मशरूअ (साधारणतः शरीअत सम्मत) है।

लेकिन उन में से किसी जगह का बिएनिही (खुसूसन या नाम के साथ) इस तरह ज़िक्र नहीं किया गया है कि उसे दूसरी जगहों से इम्तियाज़ (विशेषता और खुसूसीयत) हासिल हो, यहाँ तक कि उसकी ज़ियारत को हज्ज या उम्रा में ख़ास कर ली जाये।

मसलन (जैसे) कब्रिस्तानः बेशक कब्रिस्तानों की ज़ियारत मौत को याद करने, इबरत व नसीहत हासिल करने, उपदेश ग्रहण करने तथा नेक अमल के ज़रीये और बुरे कर्मों से दूर रहकर आखिरत की तैयारी करने की ग़रज़ से मशरूअ (शरीअत सम्मत) की गई है।

लेकिन आजकल क़ब्रों के पास ऐसी हरकतें होती हैं जिन्हें देखकर पेशानी पसीना से शराबोर (बिल्कुल गीला) हो जाती है और कलीजा मुँह को आ जाता है, जैसे: पुरुष और महिला का संमिश्रण व समागम (मर्द व ख़वातीन का इख्तिलात) और बाज़ लोगों का मुर्दों को पुकारना तथा उन





से दुआ और फरयाद करना। अगर रसूलुल्लाह ﷺ उनको इस हरकत में लतपत देखते तो उनको ज़खर रोकते और मना फ़रमाते।

अतः अगर आप उनको इस हरकत से रोकने पर क़ादिर (सक्षम) हैं, तो क़ब्रिस्तान की ज़ियारत करें और अल्लाह तआला के हाँ अब्र व सवाब (प्रतिदान) की उम्मीद करते हुये उन्हें भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें।

बिलउमूम (साधारणतः) हर कब्र की ज़ियारत मशरूअ् है, फिर भी बाज़ लोग बिएनिही बाज़ (नाम के साथ विशेष) क़ब्रों को ज़ियारत के लिए ख़ास कर लेते हैं, हालाँकि ज़ियारत के लिए ख़ास कर लेने की कोई दलील मौजूद नहीं है। उन क़ब्रों में से जिनको बाज़ लोगों ने ज़ियारत के लिए ख़ास कर लिया है चंद यह हैं:

मक्का मुकर्रमा में ‘मुअ़ल्ला’ नामक क़ब्रिस्तानः

इस क़ब्रिस्तान में बहुत सारे सहाबा किराम की कब्रें हैं। और कहा जाता है कि उस में उम्मुल मुमिनीन ख़दीजा रजियल्लाहु अ़न्हा की कब्र भी है। रसूलुल्लाह ﷺ के हाँ ख़दीजा रजियल्लाहु अ़न्हा का अज़ीम मकाम व मरतबा (महान स्थान व मर्यादा) होने के बावजूद यह बात साबित नहीं है कि आप ﷺ ने हज्ज या उम्रा में आपकी कब्र की या मुअ़ल्ला क़ब्रिस्तान की ख़ासकर ज़ियारत की हो।

उम्मुल मुमिनीन मैमूना रजियल्लाहु अ़न्हा की कब्रः

यह कब्र मक्का से निकल कर मदीना की पहली हाई वे में वाकेअू है। खुसूसी तौर पर (विशेषतः) इस कब्र की ज़ियारत करने का कोई सुबूत





नहीं है न हज्ज में और न ही उम्रा में। और इस कब्र की ज़ियारत के बारे में भी वही बात है जो दूसरी कब्रों की ज़ियारत के संबंध में है।

हव्वा की कब्र:

यह हमारी माँ हव्वा की कब्र है जिसके संबंध में दावा किया जाता है कि वह जिद्दा में विदेश मंत्रालय (वज़ारते ख़ारिजिया) की बिल्डिंग के सामने वाकेअू है। कैसे किसी के लिए यह साबित करना मुमकिन हो कि यही उनकी कब्र है। यह तो बहुत ही अजीब बात है। बहर हाल (सार बात यह है कि) हमारे नबी ﷺ ने न तो उसकी ज़ियारत की है और न ही उसकी ज़ियारत की ओर रहनुमाई फ़रमाई है।

और जब उसका कब्र होना साबित ही नहीं है, तो इबादत के तौर पर उसकी ज़ियारत करना अक्ले सलीम (शुद्ध बुद्धि) के ख़िलाफ़ है, नीज़ (अनुरूप) यह नबी करीम ﷺ के आदर्श विरोधी (तरीक़ा के ख़िलाफ़) भी है। और यह मामला उस वक्त और शदीद तथा गंभीर हो जाता है जब उसके साथ शिर्क तक पहुँचाने वाला या उसके खड़डे में ढकेलने वाला कोई अ़मल -जैसे उसको वसीला बनाना या उस से बरकत हासिल करना आदि- पाया जाये।

नबी करीम ﷺ की वालिदा आमिना बिन्ते वहब की कब्र:

नबी ﷺ की वालिदा आमिना की कब्र के पास बहुत से गैर शरद्द (शरीअत के ख़िलाफ़) काम होते हैं, जैसे: उसके पास नमाज़ पढ़ना, उस पर रूपये पैसे और कपड़े फेंकना, उसका तवाफ़ करना तथा उस से बरकत लेना इत्यादि। और यह बात साबित नहीं कि नबी ﷺ ने अपनी वालिदा की कब्र की हज्ज या उम्रा में ज़ियारत की है। अतः





आमिना की कब्र की जियारत के बारे में कोई काविले ज़िक्र (उल्लेख योग्य) फ़ज़ीलत नहीं है। बल्कि साबित यह है कि अल्लाह तَعَالَى ने नवी ﷺ को उसके लिए मग़फिरत तलब (क्षमा प्रार्थना) करने की इजाज़त नहीं दी। आप ﷺ ने फरमाया:

«اسْتَادَنْتُ رَبِّيْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّيْ فَلَمْ يَأْذُنْ لِيْ، وَاسْتَادَنْتُهُ أَنْ أَرْزُوْ قَبْرَهَا فَأَذَنَ لِيْ».

“मैं ने अपने रब से अपनी माँ के लिए मग़फिरत तलब करने की इजाज़त माँगी तो मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। और मैं ने उसकी कब्र की ज़ियारत करने की इजाज़त माँगी तो मुझे इसकी इजाज़त दी।”

इमाम नववी रहिमहुल्लाह सहीह मुस्लिम की शरह में फ़रमाते हैं:

इस हीरो में मुशरिकों की जब वह ज़िंदा हूँ ज़ियारत करने तथा उनके मरने के बाद उनकी कब्रों की ज़ियारत करने का जायज़ (सिद्धता) है। क्योंकि अगर मृत्यु के बाद उनकी (उनके कब्र की) ज़ियारत करना जायज़ है तो ज़िंदगी में उनकी ज़ियारत करना बदर्जा औला जायज़ है (जायज़ होने के अधिकतर उपयोगी है)। अल्लाह तआला ने फरमाया:

وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) [لَقْمَانَ: ١٥]

“और दुनिया में उनके साथ अच्छी तरह गुज़र बसर करना।” {सूरतु
लूकमानः १५}

 इस हदीस में काफिरों के लिए मग़फिरत तलब (क्षमा प्रार्थना) करने की सुमानअ़त (मनहाई) है।



 काज़ी इयाज़ रहिमहुल्लाह ने फ़रमाया: नबी ﷺ की अपनी वालिदा की क़ब्र ज़ियारत करने का सबव यह था कि आप ने उसकी क़ब्र का मुशाहदा (दर्शन) करके सख्त नसीहत व उपदेश हासिल करने का कस्द व इरादा किया था। और इसकी ताईद नबी ﷺ की हदीस के आखिरी टुकड़े से होती है:

فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ كُمُ الْمَوْتَ .»

“अतः तुम लोग क़ब्रों की ज़ियारत करो, क्योंकि वह तुम्हें मौत याद दिलाती है।” {नववी रचित मुस्लिम की शरह: ७/४५}

 जिन क़ब्रों की बिएनिही (विशेषतः) ज़ियारत करना मुस्तहब है उन में से चंद यह हैं:

 नबी ﷺ की क़ब्र की ज़ियारतः

आदमी नबी ﷺ की क़ब्र के सामने खड़ा होगा और यह कहता हुआ सलाम करेगा:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَجَرَّاكَ عَنْ أُمَّتِكَ خَيْرًا.

ऐ नबी! आप पर सलामती नाजिल हो, और अल्लाह की रहमतें तथा उसकी बरकतें अवतारित हो। अल्लाह तआला आप पर दुरुद नाजिल फ़रमाये और आपको आपकी उम्मत की तरफ़ से बेहतरीन बदला दे।

 नबी करीम ﷺ के दोनों साथीयों -अबू बक और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा- की क़ब्रों की ज़ियारतः

नबी ﷺ पर दुरुद व सलाम पढ़ लेने के बाद अबू बक  की क़ब्र





के सामने खड़े होने के लिए आदमी अपनी दायें तरफ से एक या दो कदम चलेगा और यह कहता हुआ सलाम करेगा:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ خَيْرًا.

ऐ रसूलुल्लाह ﷺ के ख़लीफ़ा अबू बक्र! आप पर सलामती और उसकी रहमतें तथा उसकी बरकतें नाज़िल हो। अल्लाह आप से राज़ी हो जाये और आपको मुहम्मद ﷺ की उम्मत की तरफ से बेहतरीन बदला प्रदान करे।

फिर उमर ؓ की कब्र के सामने खड़े होने के लिए व्यक्ति अपनी दायें तरफ से एक या दो कदम चलेगा और यह कहता हुआ सलाम करेगा:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ! وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ خَيْرًا.

ऐ अमीरुल मुमिनीन उमर! आप पर सलामती और उसकी रहमतें तथा उसकी बरकतें नाज़िल हो। अल्लाह आप से राज़ी हो जाये और आपको मुहम्मद ﷺ की उम्मत की तरफ से बेहतरीन बदला प्रदान करे।

बकीअूर की ज़ियारत और उस में मदफून (समाधिस्त) मुसलमानों पर सलाम करना:

शख्स उसमान ؓ की कब्र के सामने खड़ा होगा और यह कहता हुआ सलाम करेगा:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُثْمَانُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ! وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ خَيْرًا.





ऐ अमीरुल मुमिनीन उसमान! आप पर सलामती और उसकी रहमतें तथा उसकी बरकतें नाज़िल हो। अल्लाह आप से राज़ी हो जाये और आपको मुहम्मद ﷺ की उम्मत की तरफ से बेहतरीन बदला प्रदान करे।

उहुद की तरफ निकलना और हमज़ा समेत तमाम शहीदान की ज़ियारत करना:

ज़ाएर (ज़ियारत करने वाला) उनको सलाम करेगा और उनके लिए मग़फिरत, रहमत और रिज़वान (क्षमा, दया तथा संतोष) की दुआ करेगा।

वह जगहें जिन में इबादत करना मशरूअू है, लेकिन उन में से किसी का बिएनिही (नाम के साथ/खुसूसन) इबादत की ग़रज़ से क़स्द करना (विशेषतः इबादत करने के लिए वहाँ जाना) मशरूअू नहीं है:

और यह मदीना नबवीया में वाकेअू चंद मस्जिदों का एक मज़मूअ़ा (समष्टि) है। इन मस्जिदों को दूसरी मस्जिदों से अलग कोई खुसूसीयत हासिल (विशेषता प्राप्त) नहीं है।

इस में कोई शक नहीं कि रुये ज़मीन (धरती) पर अल्लाह के घर मस्जिदें हैं, लेकिन उन में से किसी को किसी पर फ़ौक़ियत (प्रधानता) देते हुये उसकी ज़ियारत करना या खुसूसन (विशेषतः) उस में नमाज़ पढ़कर अल्लाह का तक़र्ब (निकटता) हासिल करना जायज़ नहीं है, मगर यह कि इसकी ताईद व समर्थन में अल्लाह त़आला की किताब कुरआने मजीद से या उसके नवी मुहम्मद ﷺ की हदीस से कोई दलील हो -जैसे मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी, मस्जिदे अक़सा और मस्जिदे कुबा-। बल्कि





मुसलमान को चाहिये कि जब भी नमाज़ का वक्त हो जाये, अहले सुन्नत की मस्जिदों में से किसी भी मस्जिद में नमाज़ अदा कर ले।

अतः नमाज़ पढ़ने के लिए या किसी दूसरी इबादत की ग्रज़ से खुशूसन इन मस्जिदों की ज़ियारत करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इस में सुन्नते नववी की मुख्खालफ़त है। और यह मामला उस वक्त अधिक गंभीर और सख्ततरीन हो जाता है जब वहाँ नादान किस्म के लोग बाज़ ऐसे हराम और मुंकर काम -जैसे उन से बरकत लेना, उनके दीवारों को छूना अथवा गिरहें बाँधना वगैरा- किया करते हैं, जो कभी शिर्क तक पहुँच जाते हैं या उसका ज़रीया (माध्यम) बन जाते हैं।

और उक्त मस्जिदें 'मसाजिदे सबआ' या 'सबआ मसाजिद' यानी 'सात मस्जिदों' के नाम से मशहूर हैं, जो मुंदरजा ज़ैल (निम्नलिखित) हैं:

'अल्फत्ह' या 'अल्अहज़ाब' नामी मस्जिदः

यह सात मस्जिदों में सबसे बड़ी है जो सला' नामक पहाड़ के मग़रिबी जानिब (पश्चिम प्रांत) में टीला के ऊपर बनी हुई है। और कहा जाता है कि इसका यह नाम इस लिए रखा गया कि इस ग़ज़वा (युद्ध) में मुसलमानों को फत्ह हासिल (विजय प्राप्त) हुई थी।

मस्जिदे सलमान फारसीः

और यह मस्जिद अल्फत्ह से मुत्तसिल (संलग्न) उसके जनूबी साइड में (दक्षिण ओर) उस से पचीस मीटर दूर बिल्कुल पहाड़ की बुनियाद के पास वाकेअू है। और इसे इस नाम के साथ सहबी सलमान फ़ारसी की तरफ़ निस्वत करते हुये मौसूम (नामकरण) किया गया है, जिन्होंने हिज़बे





मुख्खालिफ़ के हमला (विरोधी पक्ष के आक्रमण) से मदीना की रक्षा और हिफ़ाज़त के लिए ख़नदक़ (परिखा) खोदने का मशवरा पेश किया था।

मस्जिदे अबू बक़्र सिद्दीक़:

और यह मस्जिद सलमान फ़ारसी के दक्षिण पश्चिम प्रांत (जनूबी मग़रिबी जानिब) में उस से 15 मीटर की दूरी पर वाकेअू है। पूर्वोक्त (मज़कूरा) दोनों मस्जिदों के साथ इसकी तामीर व तरमीम (निर्माण व नवीनता) हुई है, लेकिन मुस्तक़बल में (भविष्य में) इसको मुनहदिम (ध्वस्त) कर दी जायेगी।

मस्जिदे उमर बिन ख़त्ताब:

और यह मस्जिद अबू बक़्र से मुत्तसिल (संलग्न) उसके जनूबी साइड में (दक्षिण ओर) उस से केवल दस मीटर की दूरी पर वाकेअू है। वह लम्बा बरामदा नुमा है और उसी की शक्ति (आकृति) में बगैर छत के उसका सहन (आँगन) भी है, जो ज़मीन से आठ दर्जे (फुट) ऊँचा है। उसकी तामीरी ढाँचा बिल्कुल मस्जिद अलफ़त्ह की बनावट के मुताबिक (अनुसार) है, जिस से लगता है कि दोनों की तामीर व तरमीम एक साथ हुई है।

मस्जिदे अली बिन अबी तालिब:

यह मस्जिदे फ़ातिमा की पूरब जानिब लंबी शक्ति में ऊँचे टीले पर वाकेअू है। और कहा जाता है कि अली ने यहाँ पर अम्ब बिन वह अल-आमिरी -जो जंगे अहज़ाब में ख़ंदक़ पार कर गया था- को हत्या किया था।





﴿ ﴿ मस्जिदे फ़ातिमा बिनते (पुत्री) रसूलुल्लाह ﷺ:

तारीख की किताबों में यह मस्जिद मस्जिदे सअद बिन मुआज़ के नाम से मौसूम (नामित) है। और यह इस मजमूआ (समष्टि) की सबसे छोटी मस्जिद है, जो मस्जिदे अ़ली बिन अबी तालिब के पच्छिम में वाकेअू है।

﴿ ﴿ मस्जिदे क़िबलतैनः:

बाज़ लोग इसे सातवीं मस्जिद शुमार करते हैं। इस में रसूलुल्लाह ﷺ पर बैतुल मक़दिस से कअबा शरीफ़ की तरफ़ क़िबला बदलने की वस्त्य नाज़िल हुई थी। और उसी समय से यह मस्जिद ‘मस्जिदे क़िबलतैन’ के नाम से जानी गई, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने उस में आधी नमाज़ मस्जिदे अक़सा की तरफ़ रुख़ करके पढ़ी और बाकी आधी नमाज़ मस्जिदे हराम की तरफ़ रुख़ करके अदा फ़रमाई।

लेकिन नमाज़ पढ़ने की ग्रज से जिन मस्जिदों की ज़ियारत करना मसनून (सुन्नत सम्मत) है, उन में से एक मस्जिदे कुबा है। पस आदमी उजू करके उसकी तरफ़ निकलेगा और उस में नमाज़ पढ़ेगा। क्योंकि बुख़ारी और मुस्लिम में इन्बे उमर रजियल्लाहु अ़न्हुमा की हडीस से साबित है कि:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَّاءِ رَاكِبًا وَمَاشِيًّا، فَيُحَصِّلِ فِيهِ رَكْعَيْنِ».
[صحيح البخاري: ٦١، وصحیح مسلم: ١٠١٦/٢].

“रसूलुल्लाह ﷺ मस्जिदे कुबा तशरीफ़ ले जाया करते थे (कभी) सवार होकर और (कभी) पैदल। और वहाँ पहुँच कर आप दो रक़अत (नफ़्ल) अदा फ़रमाते।” {सहीह बुख़ारी: 2/61, सहीह मुस्लिम: 2/1016}





मेरे प्यारे भाई!

गुज़शता सफ़हात (पूर्वोक्त पृष्ठों) में मैं ने यह बताया कि इन जगहों की ऐसी कोई खुसूसीयत नहीं है कि हज्ज या उम्रा में उनकी ज़ियारत की जाये। नीज़ (अनुरूप) इन जगहों में बाज़ लोगों से सरज़द (संघटित) होने वाली ग़लतीयों की तरफ़ भी इशारा किया। और अब मैं आपको आपके नबी और आपके हबीब ﷺ की बात याद दिला रहा हूँ। आप ﷺ ने फ़रमाया: [۱۳۴۳/۳] «مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»۔ [صحیح مسلم: ۱۳۴۳]

“जिस ने हमारे इस दीन (इस्लाम) में (आपनी तरफ़ से) कोई नई बात ईजाद (आविष्कार) की जो उस में से नहीं है तो वह मरदूद है (ना क़ाबिले क़बूल है अगरचे वह उसे अच्छा ही क्यों न समझे)।” [सहीह मुस्लिम: 3/1343]

और मैं आपको रसूलुल्लाह ﷺ का निम्नोक्त फ़रमान भी याद दिलाता हूँ: «... وَشَرَّ الْأُمُورُ مُحَدَّثَاتٍ، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بُدُعَةٌ، وَكُلُّ بُدُعَةٍ ضَلَالٌ، وَكُلُّ ضَلَالٌ فِي النَّارِ»۔ [صحیح ابن خزیمه: ۱۴۲/۳]

“और बदतरीन काम (दीन में) नये पैदा करूदा काम हैं। और ऐसा हर नया काम बिदअ़त है। और हर बिदअ़त गुमराही है। और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है।” {सहीह इब्नु खुज़ैमा: 3/143}

और आखिरी बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वह यह कि इस तरह की नई ईजादात तथा बिदअ़तें अपने करने वालों को कियामत के दिन नबी ﷺ के हौज़ के पास जाने से रोकेंगी और आप -मेरे बाप माँ आप पर कुरबान जायें- के दूर करने तथा भगाने का सबब बनेंगी। जैसाकि आप ﷺ ने फ़रमाया:





«إِنِّي فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَى شَرَبِ، وَمَنْ شَرَبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرَدَنَ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرَفُهُمْ وَيَعْرُفُونَنِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثَوْ بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي». [صحيح البخاري: ٢٤٠٦/٥]

‘बेशक हौज़ पर मैं तुम्हारा पेश रौ और अग्र गामी (यानी तुम लोगों से पहले पहुँच कर तुम्हें पानी पिलाने का इंतिज़ाम करने वाला) हूँ। जो मेरे पास से गुज़रेगा पीयेगा। और जो पीयेगा वह कभी पियासा न होगा। मेरे पास कुछ ऐसे लोग आयेंगे जिनको मैं पहचान लूँगा और वह भी मुझे पहचान लेंगे। फिर मेरे और उनके दरमियान रुकावट और आड़ खड़ी कर दी जायेगी। पस मैं कहूँगा: यह लोग तो मुझ से हैं (यानी मेरी उम्मत हैं)। तो कहा जायेगा: आपको ख़बर नहीं कि इन लोगों ने आपके बाद (दीन में) क्या क्या चीज़ें ईजाद की थीं। तब मैं कहूँगा: दूर हो जायें फिर दूर हो जायें वह लोग जिन्होंने मेरे बाद बदल डाली।’ {सहीह बुखारी: 5/2406}

अतः क्या आप अपने नबी ﷺ के हौज़ से पीने से महरूम (वंचित) होना चाहते हैं? या यह चाहते हैं कि आपके और आपके नबी ﷺ के दरमियान रुकावट क़ायम कर दी जाये और वह आप से -अल्लाह की पनाह- कहें: दूर हो जाये फिर दूर हो जाये वह शख्स जिस ने मेरे बाद विकार व बिगाड़ पैदा कर दी।

मेरे घ्यारे भाई!

और अगर बिदअत सारी की सारी शर्त और बुराई है, तो बिदअतों में सब से बुरी बिदअत वह है जो शिर्की हो या शिर्क के खड़डे में ढकेलने वाली





हो। और शिर्के अकबर (बड़े शिर्क) की सज़ा -अल्लाह की पनाह- हमेशा के लिए जहन्नम है। और अफ़सोस कि मज़कूरा मकामात (उल्लिखित स्थानों) में शिर्के अकबर का एक बड़ा हिस्सा होते दिखाई देता है। हालाँकि -ऐ मेरे भाई!- हम तो जहन्नम से कोसों दूर भागते हैं और अल्लाह तआला से जन्नत की भीक मांगते हैं। अतः -ज़रा आप ही बतायें कि- हम इन आमाल को अपने लिए करना क्योंकर परसंद कर सकते हैं?

बाज़ मुंकर और गैर शरई आमाल की झलकीयाँ:

- ❶ इन जगहों -जैसे लाईब्रेरी, कब्रें या मैदाने अ़रफ़ा में वाकेअू जबले रहमत के ऊपर बने पीलर- के इर्द गिर्द (चारों तरफ़) तवाफ़ करना, हालाँकि 'अलबैतुल अतीक' यानी पुराने घर अर्थात् ख़ाना कअब्बा के अलावा कहीं का तवाफ़ करना जायज़ नहीं है।
- ❷ कब्रों को किबला बनाकर उनकी ओर ख़ख़ करके नमाज़ पढ़ना।
- ❸ गैरुल्लाह को पुकारते हुये उनसे अपनी ज़खरतें मांगना, जैसे नबी ﷺ को पुकारना और उनसे या उनके अलावा अहले कुबूर (कब्रावासीयों) से मदद तलब करना।
- ❹ लाईब्रेरी की दीवारों से या कब्रों, ग़ारों अथवा बाज़ जगहों की मिट्टी से बरकत हासिल करना।
- ❺ दररुद्धों और बाज़ जगहों पर गिरहें बाँधना या वहाँ ऐसे काग़ज़ात (पेपर्स) फेंकना जिन में दुआयें वगैरा लिखी हुई हों।
- ❻ कब्र की बाउंडरी और उसके ग्रीलों तथा कटी हुई शाख़ों को छूना, उन में धागे बाँधना और लटकाना तथा उन से बरकत हासिल करना।





- 7 तकरुब हासिल (निकटता प्राप्त) करने की ग़रज़ से बाज़ कब्रों पर रुपये पैसे फेंकना या खुशबू डालना या छिड़काना।
 - 8 नमाज़ के लिए खड़े होने की तरह खुशूअू व खुजूअू (विनय नम्रता) के साथ बाज़ लोगों का कब्र के सामने खड़ा होना और नमाज़ की तरह अपने दायें हाथ को बायें हाथ पर रखना।
- अंत में ऐ मेरे प्रिय भाई!

मैं अल्लाह तआला से दुआ करता हूँ कि वह आपको इस सफर में तथा आने वाले दिनों में आपके रब की किताब कुरआने मजीद पर और आपके नबी ﷺ की सुन्नत पर अ़मल करने की तौफीक दे। और आपके दरमियान तथा बिदअतों और गुनाह ख़ताओं के दरमियान उतनी दूरी कर दे जितनी दूरी पूरब और पच्छिम के दरमियान की है। और आपको उन लोगों में से बनाये जो बेगुनाह होकर हज्जे मबरूर (मक़बूल) के साथ तथा ख़ताओं और पापों से इस तरह पाक व साफ लौटते हैं जैसाकि उनकी माओं ने उन्हें आज ही जन्म दिया है।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُمَّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

और हमारी आखिरी बात यह है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। और ऐ अल्लाह! हमारे नबी मुहम्मद पर, तथा उनके आल व औलाद और उनके सहाबीयों पर दुर्लभ व सलाम नाज़िल फ़रमा।



IslamHouse.com

 [Hindi.IslamHouse](https://www.facebook.com/Hindi.IslamHouse)  [@IslamHouseHi](https://twitter.com/IslamHouseHi)  [IslamHouseHi](https://www.youtube.com/IslamHouseHi)  <https://islamhouse.com/hi/>
 [IslamHouseHi](https://www.instagram.com/IslamHouseHi)

For more details visit
www.GuideToIslam.com



contact us :Books@guidetoislam.com

 [Guidetolslam.org](https://www.facebook.com/Guidetolslam.org)  [Guidetoislam1](https://twitter.com/Guidetoislam1)  [Guidetoislam](https://www.youtube.com/Guidetoislam)  www.Guidetoislam.com




المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: +٩٦٦١٤٤٥٩٠٠ - فاكس: +٩٦٦١٤٤٧٠١٢٦ ص.ب: ٣٩٤٦٥ - الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

अनमोल पैग्राम हाजीयों के नाम

इस किताब में है: ♦ वह जगहें जिनकी इबादत के तौर पर ज़ियारत करना असूलन मशरूअ् (मूलतः शरीअत सम्मत) ही नहीं है ♦ वह जगहें जिनकी इबादत के तौर पर ज़ियारत करना उमुमन मशरूअ् (साधारणतः शरीअत सम्मत) है ♦ सबआ मसाजिद (सात मस्जिदों) की हकीकत।



IslamHouse.com

